महोबा पुलिस

दिनांक- 15.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 729/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 15.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 15.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 728/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने ली मंगलवार परेड की सलामी, ड्रिल निरीक्षण और अभिलेखों की गहन समीक्षा के जरिए कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने के निर्देश।

- आज दिनांक 15.09.2026 को पुलिस लाइन महोबा में आयोजित मंगलवार परेड के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा परेड की सलामी ग्रहण की गई। इस अवसर पर पुलिस बल की टोलीवार ड्रिल कराई गई, जिसमें जवानों के अनुशासन, तालमेल एवं शारीरिक दक्षता का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला।
- ड्रिल के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा टोलीवार निरीक्षण करते हुए वर्दी, उपकरणों एवं समग्र प्रस्तुति का बारीकी से अवलोकन किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उच्च मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया गया।
- इसके पश्चात पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का व्यापक निरीक्षण किया गया। विशेष रूप से परिवहन शाखा का गहन निरीक्षण करते हुए वहां उपलब्ध अभिलेखों की गुणवत्ता, रख-रखाव एवं अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई तथा कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने हेतु निर्देश दिए गए।
- निरीक्षण क्रम में रजिस्टर पेशी का भी परीक्षण किया गया। पेशी रजिस्टर का अवलोकन कर अभिलेखों की सटीकता, गुणवत्ता एवं समयबद्ध अद्यतन की जांच की गई। संबंधित कर्मियों को अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण एवं नियमित अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

दिनांक- 15.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 730/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

व0उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराह का0 तुषार सिंह द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट की तामीला के क्रम में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त महेन्द्र पाल पुत्र हीरालाल, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम बेरी, थाना अजनर, जनपद महोबा को आज दिनांक 15.09.2026 को ग्राम बेरी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को सम्बन्धित मु0नं0 3226/21, धारा 325/323/504 भादवि0 के प्रकरण में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, महोबा के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

महेन्द्र पाल पुत्र हीरालाल, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम बेरी, थाना अजनर, जनपद महोबा

सम्बन्धित अभियोग-

मु0नं0 3226/21, धारा 325/323/504 भादवि0।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 राधेश्याम सिंह, थाना अजनर, जनपद महोबा
2. का0 तुषार सिंह, थाना अजनर, जनपद महोबा

दिनांक- 15.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 731/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने 02 किलो 254 ग्राम अवैध गांजा के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में गठित पुलिस टीम उ0नि0 श्री अनुज कुमार सिंह मय हमराही पुलिस बल द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. रामेन्द्र सिंह उर्फ रामठाकुर पुत्र गनपत सिंह निवासी मु0 सुभाष नगर थाना कबरई जनपद महोबा उम्र करीब 30 वर्ष एवं 2. ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी उर्फ ज्ञानू पुत्र श्री आत्माराम तिवारी निवासी मु0 शास्त्रीनगर कबरई थाना कबरई जनपद महोबा उम्र करीब 28 वर्ष को गंज गौशाला से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से दो सफेद रंग की बोरियों में क्रमशः पहली बोरी से 01 किलो 122 ग्राम तथा दूसरी बोरी से 01 किलो 132 ग्राम, कुल 02 किलो 254 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कबरई पर मु0अ0सं0 203/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.रामेन्द्र सिंह उर्फ रामठाकुर पुत्र गनपत सिंह निवासी मु0 सुभाष नगर थाना कबरई जनपद महोबा उम्र करीब 30 वर्ष।

2.ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी उर्फ ज्ञानू पुत्र आत्माराम तिवारी निवासी मु0 शास्त्रीनगर कबरई थाना कबरई जनपद महोबा उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

1. पहली सफेद बोरी से 01 किलो 122 ग्राम सूखा गांजा नाजायज
2. दूसरी सफेद बोरी से 01 किलो 132 ग्राम सूखा गांजा नाजायज
3. कुल 02 किलो 254 ग्राम सूखा गांजा नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह, थाना कबरई जनपद महोबा
2. का0 कुंवर पाल, थाना कबरई जनपद महोबा
3. का0 प्रदीप कुमार, थाना कबरई जनपद महोबा
4. का0 सूरज मौर्या, थाना कबरई जनपद महोबा

दिनांक- 15.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 732/26

महोबा पुलिस

जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी अपराध द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया गया।

जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 15.09.2026 को क्षेत्राधिकारी श्री अजय पाल द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर में तैनात पुलिस बल की ड्यूटी, प्रवेश/निकास बिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, आगंतुकों की निगरानी, वाहन पार्किंग व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता का गहनता से जायजा लिया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक आगंतुक की समुचित जांच सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा न्यायालय परिसर में आने वाले वादकारियों एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतत निगरानी रखी जा रही है एवं किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

दिनांक- 15.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 733/26

महोबा पुलिस

रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या के उद्देश्य से बैठे व्यक्ति की पीआरवी कर्मियों ने बचाई जान, सराहनीय कार्य पर यूपी-112 मुख्यालय से प्राप्त प्रशस्ति पत्र अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पीआरवी कर्मियों को किया गया प्रदान।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा जनसुरक्षा एवं मानवीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता देते हुए यूपी-112 के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 05.09.2026 को पीआरवी संख्या MBA-5822 द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या के उद्देश्य से बैठे एक व्यक्ति की जान बचाई गई। दिनांक 05.09.2026 को कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग बिलबई के पास एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना कॉलर द्वारा यूपी-112 पर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी संख्या MBA-5822 के कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक व्यक्ति आत्महत्या के उद्देश्य से रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है तथा उसके सिर में चोट लगी हुई है।

पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित एवं सूझबूझपूर्ण कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को समझा-बुझाकर रेलवे ट्रैक से सुरक्षित नीचे उतारा गया तथा पटरी से दूर ले जाकर आत्महत्या करने का कारण पूछा गया। उक्त व्यक्ति द्वारा पारिवारिक समस्या से परेशान होना बताया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति को पीआरवी वाहन से उपचार हेतु जिला अस्पताल महोबा ले जाकर भर्ती कराया गया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी।

पीआरवी कर्मियों द्वारा किए गए इस त्वरित, संवेदनशील एवं सराहनीय कार्य का संज्ञान लेते हुए यूपी-112 मुख्यालय लखनऊ द्वारा पीआरवी कर्मियों को "PRV OF THE DAY CERTIFICATE"/प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने हेतु चयनित किया गया तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी यूपी-112 महोबा द्वारा यूपी-112 मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त उक्त "PRV OF THE DAY CERTIFICATE"/प्रशस्ति पत्र संबंधित पीआरवी कर्मियों को प्रदान किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पीआरवी कर्मियों के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार तत्परता, संवेदनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।

पीआरवी कर्मीगण:

- कमांडर – मुख्य आरक्षी मुन्नालाल
- सब-कमांडर – म0का0 प्रतिमा सरोज
- चालक – हो0गा0 कालका प्रसाद

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पीआरवी कर्मियों के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की गई तथा यूपी-112 की त्वरित एवं संवेदनशील पुलिसिंग को आमजन की सुरक्षा के प्रति महोबा पुलिस की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया।

दिनांक- 15.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 735/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को मय आलाकत्ल सहित किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थाना कुलपहाड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 214/2026 धारा 104 बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त कल्लन रैकवार उर्फ बृजगोपाल पुत्र भगवानदास उर्फ भगोले उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम रगौलिया बुजुर्ग थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा को दिनांक 14.09.2026 को श्रीनगर-बेलाताल रोड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल त्रिशूल, जिस पर रक्त लगा हुआ था, एक अदद क्षतिग्रस्त ओप्पो मोबाइल फोन तथा घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहनी गयी रक्त के धब्बे लगी सैण्डो बनियान बरामद की गयी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की जामा तलाशी से 11,610 रुपये बरामद हुए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त कल्लन रैकवार उर्फ बृजगोपाल, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम रगौलिया बुजुर्ग, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा, थाना नौगांव, जनपद छतरपुर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2014 धारा 302 भादवि0 में आजीवन दोषसिद्ध बंदी है, जो दिनांक 01.09.2026 को 14 दिवस के पैरोल पर अपने घर ग्राम रगौलिया बुजुर्ग आया था।

अभियुक्त कल्लन रैकवार अपनी पत्नी चम्पा, उम्र करीब 48 वर्ष, के साथ ग्राम रगौलिया बुजुर्ग में रह रहा था। दिनांक 14.09.2026 की रात्रि में अभियुक्त द्वारा घर में रखे त्रिशूल से अपनी पत्नी चम्पा की हत्या कर दी गयी।

प्रकरण के सम्बन्ध में मृतका के भतीजे राजेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल, निवासी ग्राम रगौलिया बुजुर्ग, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 214/2026 धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 103(1) बीएनएस को धारा 104 बीएनएस में तरमीम किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या जिस त्रिशूल से की थी, उसे अपने घर के अहाते में बने शौचालय में छिपाकर रखा है तथा वह उसे बरामद करा सकता है। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर के अहाते में बने शौचालय से रक्त लगा आलाकत्ल त्रिशूल बरामद कराया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की निशानदेही पर उसकी पत्नी चम्पा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षतिग्रस्त ओप्पो मोबाइल फोन उसके भाई के अहाते में स्थित झाड़ियों से बरामद कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कल्लन रैकवार उर्फ बृजगोपाल पुत्र भगवानदास उर्फ भगोले, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम रगौलिया बुजुर्ग, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 279/2014, धारा 302 भादवि0, थाना नौगांव, जनपद छतरपुर, मध्य प्रदेश।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र

2.कां0 हवन कुमार

3.कां0 अभिषेक कुमार

महोबा पुलिस

दिनांक- 15.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 734/26

"अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान के सफल संचालन हेतु मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारियों एवं टीम की गोष्ठी आयोजित, I-Got कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध मिशन शक्ति से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रदर्शित कर दिया गया प्रशिक्षण"

- आज दिनांक 15.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान के सफल संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनपद के समस्त थानों में संचालित मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारियों एवं मिशन शक्ति टीम के सदस्यों की गोष्ठी आयोजित की गई।
- गोष्ठी के दौरान मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों तथा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। मिशन शक्ति टीमों द्वारा क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन तथा महिला कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक किए जाने पर विशेष जोर दिया गया।
- इस दौरान I-Got कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध मिशन शक्ति से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रदर्शित कर मिशन शक्ति टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से महिला एवं बालिका सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों, जनजागरूकता कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन तथा मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी गई।
- अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा मिशन शक्ति टीम के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति निरन्तर सतर्क रहते हुए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन एवं योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- गोष्ठी के दौरान मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी संचालन, टीमों के मध्य बेहतर समन्वय तथा महिलाओं एवं बालिकाओं तक सुरक्षा एवं सहायता संबंधी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।